

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—781/2003
 संस्थित दिनांक—08.07.1996
 फाईलिंग क. 234503000021996

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी मुक्की,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—बिठलू वल्द मोहली मरकाम, उम्र—48 वर्ष, जाति बैगा,
 निवासी—ग्राम मोवाला, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—सवनीबाई जौजे सुखू (फौत)
 निवासी—ग्राम मोवाला, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—इतवारिन जौजे बिठलू उम्र—40 वर्ष, जाति बैगा,
 निवासी—ग्राम मोवाला, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—सोनिया जौजे सुखमन कुसरे, उम्र—45 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी—ग्राम मोवाला, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

5—ताराबाई वल्द लाईकराम धुर्वे, उम्र—38 वर्ष, जाति गोंड
 निवासी—ग्राम मोवाला, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

6—लक्ष्मीबाई वल्द बुढ़न (फौत)
 निवासी—ग्राम मोवाला, थाना बैहर,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—16/02/2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं संशोधित अधिनियम वर्ष 1991 की धारा—27, 30, 31 एवं सहपठित धारा—51 के तहत आरोप है कि

उन्होंने दिनांक-09.04.1996 से दिनांक-10.04.1996 के बीच ग्राम मुक्की के कक्ष क्रमांक-8, वन्य परिक्षेत्र कान्हा पार्क में बिना प्राधिकार के अभ्यारण्य में शस्त्रों के साथ प्रतिबंधित स्थल पर प्रवेश कर वन्य संपत्ति महुआ को चुना और वन्य प्राणी जंगली सुअर का गारा उठाकर आग प्रज्वलित कर उसे भूजकर काटकर खाए।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-10.04.1996 को करीब 1:30 बजे कक्ष क्रमांक-8 में धुआ देखकर वन विभाग कान्हा नेशनल पार्क के कर्मचारी मय स्टाफ मजदूरों के साथ मौके पर गए, जहां आरोपीगण एक महुआ के पेड़ के पास जंगली सुअर का मांस अंगार में भूजकर खा रहे थे। आरोपीगण द्वारा जुर्म करना कबूल कर स्वीकार किया गया कि वे सभी लोग पार्क में अवैध प्रवेश कर अंगार लगाकर जंगली सुअर का गारा उठाए और उसे काटकर भूजकर खा रहे थे और महुआ भी चुने थे। जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी. ओ.आर.क्रमांक-1663/09, धारा-27, 30, 31 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं संशोधित अधिनियम 1991 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके साक्षियों के समक्ष घटनास्थल से आरोपीगण के पास से जंगली सुअर का 14 किलो मांस, 48 किलो कच्चा महुआ, 2 कुल्हाड़ी, एक हंसिया, एक माचिस जप्त कर जप्तीपंचनामा, मौके का पंचनामा, नजरीनक्शा तैयार कर, आरोपीगण एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं संशोधित अधिनियम वर्ष 1991 की धारा-27, 30, 31 एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान आरोपी सवनीबाई व लक्ष्मीबाई फौत हो चुके हैं। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-09.04.1996 से दिनांक-10.04.1996 के बीच ग्राम मुक्की के कक्ष क्रमांक-8, वन्य परिक्षेत्र कान्हा पार्क में बिना प्राधिकार के

अभ्यारण्य में शस्त्रों के साथ प्रतिबंधित स्थल पर प्रवेश कर वन्य संपत्ति महुआ को चुना और वन्य प्राणी जंगली सुअर का गारा उठाकर आग प्रज्वलित कर उसे भूँजकर काटकर खाए ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— जोहरसिंह परते (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। वह मुक्की रेंज बिसपुर में पदस्थ था। घटना करीब ढाई—तीन वर्ष पूर्व की है। वे लोग गश्ती में जा रहे थे, तो आरोपी बिठलू और अन्य 5—6 व्यक्ति सुअर का मटन भूँजकर खा रहे थे। आरोपीगण को घेरा बनाकर पकड़े थे और उनसे करीब 14 किलो सुअर का मटन और 48 किलो महुआ जप्त किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 व 2 में उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर पांच महिला और आरोपी बिठलू को पकड़ा था, जिनके पास से एक हंसिया, कुल्हाड़ी, एक एल्युमिनियम की गंजी, एक मटन रखने की झोगली जप्त हुई थी। आरोपीगण से पूछताछ करने पर उन्होंने जंगली सुअर का मटन होना बताया था। घटनास्थल पर जंगली सुअर का खून और बाल मिले थे, जिसे जप्त किया गया था। आरोपीगण ने बताया था कि वे पार्क के अंदर महुआ चुनने आए थे, जिनसे महुआ भी जप्त किया गया था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसे सारे आरोपीगण मौके पर एक साथ मिले थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे मौके पर सुअर का पैर व मुंह नहीं मिला था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसने कथित जप्ती में केवल मांस की ही जप्ती की थी। साक्षी ने मौके पर कथित जप्ती किया जाना बताया है, किन्तु अपने कथन में यह नहीं बताया कि उक्त मौका या घटनास्थल कहां का था।

7— रामसिंह (अ.सा.2), जोहरसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वे सभी आरोपीगण को जानते हैं। आरोपी बिठलू सुअर का मटन काट रहा था और बाई लोग महुआ चुन रही थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 व 2 पर उनके हस्ताक्षर हैं। डिप्टी साहब ने लिखापट्टी कर पंचनामा प्रदर्श पी—3 बनाया था, जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि महिला आरोपीगण से मांस की जप्ती नहीं की गई थी। साक्षीगण ने जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—1 के अनुसार मौके से अलग—अलग आरोपी से जप्ती किये जाने से भी इंकार किया है।

इन साक्षीगण ने यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर कोई लिखापढ़ी नहीं की गई थी और बाद में डिप्टी साहब ने कैप में लाकर लिखापढ़ी किया था, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। इन साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई दस्तावेजी कार्यवाही पर पश्चात में कैप में हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— दिलीप सिंह चौधरी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण ने मुक्की रेंज के कक्ष क्रमांक-8 में पहले महुआ चुने और रात में खाना बनाए और जंगल के अंदर अंगार लगाया। दूसरे दिन आरोपीगण को सुअर का गारा दिखा तो सुअर का मांस कुछ कच्चा रखे और कुछ भूनकर भी खाया था। धुआं देखकर वनरक्षक मौके पर गया तो वहां आरोपी बिठलू और एक व्यक्ति और दिखा। आरोपी बिठलू और उसका साथी फरार हो गया था, बाकि के 5 महिला और एक बच्ची मौके पर मिले। वनरक्षक ने जप्ती, पी.ओ.आर. मौके पर तैयार किया। पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-4 पर जोहरसिंह के हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक वनरक्षक द्वारा बनाया गया है। उसके द्वारा पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था और नजरीनक्शा भी बनाया गया था। साक्षी का यह भी कथन है कि घटनास्थल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में प्रकरण में नक्शा पेश न होना भी स्वीकार किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने ऐसी अधिसूचना पेश नहीं की है कि घटनास्थल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आता है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा प्रस्तुत कथन के आधार पर मौखिक साक्ष्य पर्याप्त प्रकट नहीं होती है कि घटनास्थल राष्ट्रीय उद्यान का कोर जोन का क्षेत्र था। इस साक्षी के अलावा किसी भी अन्य साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि कथित घटनास्थल कान्हा नेशनल पार्क का कोर जोन का क्षेत्र था। ऐसी दशा में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मात्र मौखिक कथन से यह प्रमाणित नहीं होता कि कथित घटनास्थल कान्हा नेशनल पार्क का कोर जोन का क्षेत्र था।

9— चैनसिंह (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसके सामने वन विभाग वालों ने कोई पंचनामा नहीं बनाया और न ही उसने कहीं अंगूठा लगाया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही एवं घटना का

समर्थन नहीं किया है।

10— आनंद गोस्वामी (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.04.1996 को परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा पी. ओ.आर. क्रमांक-1663/09, दिनांक-10.04.1996 का परिवाद डी.एस. चौधरी व रि. सहायक खापा द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी बिठलू समनीन, गोवारिन ताराबाई व लक्ष्मीबाई के विरुद्ध वन्य प्राणी अधिनियम की धारा-27, 30, 31 का अपराध पाए जाने से परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटनास्थल कब से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है तथा प्रकरण में इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में कोई प्रमाणित मानचित्र भी पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने औपचारिक रूप से मात्र परिवादी के रूप में परिवादपत्र पेश करने का समर्थन किया है, किन्तु इस साक्षी के कथन से भी यह प्रमाणित नहीं होता कि कथित घटनास्थल कान्हा नेशनल पार्क का कोर जोन का क्षेत्र था।

11— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रकरण में महिला आरोपीगण से कोई भी जप्ती कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 में उनसे कथित मांस की पृथक जप्ती बताई गई है। इस संबंध में स्वयं जप्ती अधिकारी जोहरसिंह (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण से कथित मांस की पृथक-पृथक जप्ती की गई थी एवं अलग-अलग मात्रा में जप्ती बनाई गई थी। यद्यपि साक्षी ने मौके पर कथित जंगली सुअर का खून व बाल जप्त किया जाना बताया है, जिसका जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 में इन्द्राज नहीं किया गया है। इसके अलावा जप्ती अधिकारी ने कथित जंगली सुअर का ऐसा अवयव या अंग जप्त करना भी नहीं बताया है कि जिससे यह प्रकट होता हो कि जप्तशुदा मांस वन्य प्राणी जंगली सुअर का ही था। जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का विभागीय साक्षीगण ने ही पंच साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी के द्वारा कार्यवाही त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद प्रकट होती है।

12— आरोपीगण के द्वारा की गई कथित अपराध की संस्वीकृति के आधार पर अभियोजन की ओर से यह प्रकट किया गया है कि जंगली सुअर जंगल में मरा पड़ा मिला था तो उन्होंने जंगली सुअर के मांस को काटकर भूँजकर खा लिया और बाकी

जप्त किया। यद्यपि आरोपीगण से कथित जंगली सुअर के मांस की विधिवत् जप्ती किया जाना संदेहास्पद प्रकट होता है। जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई दोषपूर्ण एवं संदेहास्पद कार्यवाही से और उसकी कार्यवाही का स्वयं विभागीय साक्षी ने पंच साक्षी के रूप में समर्थन न किये जाने से जप्ती कार्यवाही संदेह से परे विधिवत् प्रमाणित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण की कथित संस्वीकृति का भी अन्य किसी साक्षीगण ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में मात्र अपुष्ट संस्वीकृति के आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

13— प्रकरण में आरोपीगण से कथित जंगली सुअर के मांस की जप्ती किया जाना प्रकट किया गया है, किन्तु उक्त मांस की पहचान एवं शिनाख्ती कराए जाने के संबंध में परिवादी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि कथित मांस के साथ जप्ती अधिकारी के द्वारा वन्य प्राणी के ऐसे अवयव या अंग की जप्ती नहीं की गई है, जिससे यह पहचान सुनिश्चित हो सके कि उक्त जप्तशुदा मांस जंगली सुअर का ही था। ऐसी दशा में कथित जप्तशुदा मांस जंगली सुअर का होना ही प्रमाणित नहीं होता है।

14— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि मामलें में आरोपीगण के विरुद्ध किसी वन्य प्राणी के शिकार का आरोप नहीं है, बल्कि मरे हुए जंगली सुअर के मांस को काटकर खाने और उनसे कथित मांस जप्त किये जाने के आधार पर आरोपीगण को अभियोजित किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि आरोपीगण ने कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन में हथियार सहित प्रवेश किया था। जप्ती अधिकारी के द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद कार्यवाही के आधार पर अभियोजन की ओर से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण से कथित वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस जप्त किया गया था। मात्र अपुष्ट संस्वीकृति के आधार पर आरोपीगण की आरोपित अपराध में दोषसिद्धि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। फलतः आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से आरोपीगण को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं संशोधित अधिनियम वर्ष 1991 की धारा-27, 30, 31 एवं सहपठित धारा-51 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15— आरोपी इतवारिन, सोनिया, ताराबाई के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16— मामले में आरोपी बिठलू दिनांक—11.04.1996 से दिनांक—13.04.1996 तक एवं दिनांक—06.01.2016 से दिनांक—16.02.2016 तक, आरोपी इतवारिन दिनांक—11.04.1996 से दिनांक—13.04.1996 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहें है तथा आरोपी ताराबाई व सोनिया न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रही है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा—428 द. प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)